भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3452

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

डिजिटल लेन-देन पर शुल्क माफी

3452. श्री हनुमान बैनिवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का नकद रहित/डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेन-देन पर विभिन्न बैंकों द्वारा वसूले गए अतिरिक्त शुल्क/एमडीआर धनराशि को समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति और योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भीम कैश-बैक योजना, व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और व्यापक रूप से अपनाने के लिए भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना जैसी प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू किया है।

एमईआईटीवाई ने 27 दिसम्बर, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से 2000 रुपए तक के मूल्य के लिए डेबिट कार्ड/भीम-यूपीआई और भीम आधार भुगतान लेन-देनों पर लगने वाले एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे दी है, जो 1 जनवरी, 2018 से दो वर्ष के लिए लागू होगी।

सभी सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों से अनुरोध किया गया है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के द्वारा डिजिटल भुगतान को संभव बनाएं।

(ख) और (ग): वर्ष 2019-20 के बजट भाषण के अनुसार, माननीय वित्त मंत्री ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव किया है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक टर्नओवर वाली कारोबार संस्थाएं अपने ग्राहकों को कम लागत पर डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराएंगी और ग्राहक एवं व्यापारियों पर कोई प्रभार या व्यापारी छूट दर नहीं लगायी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इन लागतों का वहन उन बचतों से करेंगे जो उन्हें कम नकदी संचालन के कारण प्राप्त होगा क्योंकि लोग इन डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपना रहे हैं।

*****